(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2935–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2016 पारित द्वारा तहसीलदार हनुमना जिला रीवा प्रकरण क्रमांक–78/ए–6/2015–16.

.....

रमदेइया पुत्री स्व0 गोपीचन्द्र पति श्री श्यामलाल बानी
निवासी ग्राम खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
------आवेदक

विरूद्ध

1. विश्वनाथ गुप्ता
2. दीपक कुमार गुप्ता
   दोनों निवासी ग्राम खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
------अनावेदकगण

.....

श्री ओ0पी0 शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के आदेश दिनांक 18–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा खसरा कमांक 64 रकवा 1.36 एकड़ में 1/8 हिस्सा पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार ने दिनांक 15–7–16 आदेश पारित करते हुये प्रकरण खारिज किया। तत्पश्चात अनावदेकों की ओर से संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा पुनः सुनवाई कर दिनांक 18–7–16 को आदेश पारित करते हुये पूर्व में पारित आदेश दिनांक 15–7–16 को स्थिर रखा तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये

प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया। तहसीलदार के इसी आदेश दिनांक 18–7–2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को तहसीलदार हनुमना ने दिनांक 15–7–2016 उचित न पाते हुये प्रकरण खारिज कर दिया था। जिस न्यायालय ने किसी मामले को यदि खारिज कर दिया है तब उक्त मामले को पुनः खोलने की अधिकारिता संबंधित न्यायालय को प्राप्त नहीं है। यदि व्यथित पक्षकार चाहे तो उक्त आदेश की निगरानी या अपील कर सकता है। इस मामले में तहसीलदार द्वारा विधि के विरूद्ध जाकर उक्त मामले को पुनः खोलते हुये सुनवाई में लिये जाने का जो आदेश दिया है वह पूर्णतः गलत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18–7–2016 निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने पूर्व के आदेश में हुई त्रुटि को सुधारकर प्रकरण पुनः साक्ष्य हेतु नियत किया है जहां आवेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है। प्रकरण तहसीलदार के समक्ष लंबित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत था जहां वसीयतग्रहीता द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा उपपंजीयक के यहां से प्रमाणित अभिलेख नहीं मानते हुये नामांतरण आवेदन खारिज किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतिम प्रकृति का आदेश था जिसे संहिता की धारा 32 का उपयोग का प्रकरण पुनः सुनवाई में नहीं किया लिया जा सकता है। संहिता की धारा 32 राजस्व न्यायालय को अंतर्निहित शाक्ति प्रदान करता है किन्तु इस धारा के अन्तर्गत किसी प्रकरण के अंतिम आदेश हो जाने के उपरांत उक्त प्रकरण को पुनः

सुनवाई में लेने संबंधी जो अधिकारविहीन आदेश तहसीलदार द्वारा दिया है न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार हनुमना जिला रीवा का आदेश दिनांक 18–7–2016 निरस्त किया जाता है।

23/7/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,